न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा)

मु.न. 115/2017

उनवान

1. चौथमल पुत्र स्व. नानूराम
2. बाबूलाल पुत्र स्व. नानूराम
3. रामलाल पुत्र स्व. नानूराम
4. गोपाललाल पुत्र स्व. नानूराम
5. नाथी देवी पुत्री स्व. नानूराम
6. पांची देवी पुत्री स्व. नानूराम

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा (बांसा), तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर (राज.)।
2. कालूराम पुत्र मंगलाराम
3. रामपाल पुत्र मंगलाराम
4. बल्लाराम पुत्र मंगलाराम
5. नेहरू पुत्र मंगलाराम
6. कैलाश पुत्र मंगलाराम
7. रूडमल पुत्र बोदूराम
8. रामेश्वर पुत्र बोदूराम
9. शंकरलाल पुत्र बोदूराम
10. गणपतलाल पुत्र बोदूराम
11. नन्दलाल पुत्र बोदूराम
12. लाडा देवी पत्नी मंगलाराम
13. भागी देवी पत्नी बोदूराम

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा (बांसा), तहसील चौमूँ, जिला जयपुर (राज.)

14. सुरेश चन्द गर्ग पुत्र के.एम. गर्ग, जाति महाजन, निवासी सा.बी. 12, संजय कॉलोनी, नेहरू नगर, जयपुर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 11.05.2018

पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम विजयसिंहपुरा, पटवार हल्का कुशलपुरा, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र चौमूँ, जिला जयपुर में भूमि नया खाता संख्या 90 में वर्णित खसरा नम्बर 290 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 291 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 292/1014 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.23 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर सम्पूर्ण प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा नया खाता संख्या 89 में वर्णित खसरा नम्बर 284 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 285

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के पिता स्व. नानू पुत्र मांग्या के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमियों पर प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर उपयोग करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी कर रहे है।

वाके ग्राम विजयसिंहपुरा, पटवार हल्का कुशलपुरा, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि 294, 292, 293/1015, 294/1016, 295, 296, 297 की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 14 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि के लगवा अप्रार्थीगण की भूमि है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 07.10.2017 को मुताबिक आदेश तहसीलदार साहब चौमूं के कमांक/भू.अ./17/3613–18 दिनांक 18.09.2017 की पालना में ग्राम विजयसिंहपुरा के खसरा नम्बर 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 292/1014, 293/1015, 294/1016 के मौके पर बाबत सीमाज्ञान बहमराह पटवारी हल्का विजयसिंहपुरा, आई.एल.आर. गोविन्दगढ, पटवारी हल्का गोविन्दगढ के मौके पर पहुंचा। सर्वप्रथम ग्राम विजयसिंहपुरा के खसरा नम्बर 301 गै.मु. चाह से खसरा नम्बर 283 गै.मु. चाह पर जरीब चलाई गई जो मौका नक्शा सही पाये गये। खसरा नम्बर 301 गै.मु. चाह से खसरा नम्बर 303, 300, 297 के तिमेडे को टकराया गया। उक्त तिमेडे खसरा नम्बर 283 गै.मु. चाह तथा आस–पास के खसरा नम्बरान को मौका नक्शा सही पाई गई सीमाओं से नापकर खसरा नम्बर 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 299/1014, 293/1015, 294/1016 का सीमाज्ञान करवाया गया। उपस्थित को सीमाज्ञान की कार्यवाही समझकर हस्ताक्षर करवाये गये तदोपरान्त सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी का निवेदन अप्रार्थीगण से किया गया जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 14 द्वारा सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी नहीं करने दी गई जिस कारण सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण अपनी खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हुआ जिस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 290, 291, 292/1014, 293, 284, 285 की पत्थरगढी के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 व 12 ने प्रारम्भिक आपत्ति मय जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध ग्राम विजयसिंहपुरा के खसरा नम्बर 284, 285 के बाबत भी प्रस्तुत किया गया हैं, प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर 284, 285 का खातेदार काश्तकार नही हैं, न ही प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज हैं, खसरा नम्बर 284, 285 मन्दिर माफी की भूमि हैं, जिस कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं।

प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 294, 292, 293/1015, 294/1016, 295, 296, 297 की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 14 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का कथन गलत हैं, उक्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 14 के अलावा मांगी पुत्री मंगला व सुन्दरी, गीता पुत्रियां बोदूराम माली के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं, जो प्रश्नगत सम्पत्ति के पडौसी खातेदार काश्तकार हैं, जिनको प्रार्थीगण ने जानबूझकर आदेशात्मक प्रावधानों की अवहेलना करते हुये पक्षकार नही बनाया गया हैं।

प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार सीमाज्ञान कार्यवाही मन अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 व 12 की अनुपस्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा बिना मौके पर गये मन अप्रार्थीगण को बिना सूचना दिये एकपक्षीय रूप से एकाक में बैठकर तैयार की गई हैं, जिस रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रश्नगत भूमि व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 14 के अलावा मांगी पुत्री मंगला, सुन्दरी, गीता पुत्रियां बोदूराम माली की अभिलिखित खातेदारी काश्तकार भूमि का एक साथ सीमाज्ञान करना वर्णित किया गया हैं तथा प्रार्थी और अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य स्थित सीमाओं को सीमांकन नही किया गया हैं और

उपखण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 290, 291, 292/1014, 293, 284, 285 की सीमा पर पत्थरगढी करवाना चाहते हैं, जिसका आज तक सीमांकन ही नही किया गया जो न्यायहित में नही हैं।

प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 290, 291, 292/1014, 293, 284, 285 का प्रार्थीगण द्वारा अपने आपको खातेदार गलत रूप से वर्णित किया गया हैं, खसरा नम्बर 284, 285 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं हैं, न ही प्रार्थीगण का कब्जा हैं, उक्त मद में वर्णित सम्पूर्ण तथ्य प्रार्थीगण द्वारा बनावटी व प्रार्थना पत्र पेश करने के आशय से गलत रूप से वर्णित किये गये हैं, हस्तगत प्रार्थना पत्र का मुख्य उदेश्य प्रार्थीगण की रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 291, 292/1014 में से अवस्थित रास्ते को पत्थरगढी कर बन्द करना हैं, जो कि न्यायहित में नही हैं, न ही कोई नियमानुसार जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया गया हैं, नक्शे में काफी अन्तर है जो दिनांक 08.07.2017 की सीमाज्ञान रिपोर्ट कार्यवाही से बखूबी साबित हैं, ऐसे में उक्त अन्तर के मौजूद होते हुये सीमाज्ञान किया गया तो अप्रार्थीगण के साथ गम्भीर अन्याय होगा, जिससे पक्षकारों के मध्य मुकदमें बाजी होगी, जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई भविष्य में करना असम्भव होगा।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा व खर्चा के खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण उपस्थित। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 07.10.2017 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 07.10.2017 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये ख0न0 284, 285 में मन्दिर माफी का पेन्सिल नोट होने से इनको छोडकर शेष आवेदित खसरा नम्बरों की पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

Scanned by CamScanner